न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः— 212/2024

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1. दुर्गाराम पुत्र राजीराम जाति सिरवी निवासी चण्डावल नगर तह0 सोजत जिला पाली राज0 2. मृतक भोलाराम पुत्र राजीराम के वारिसान— 2/1 प्रेमलाल पुत्र भोलाराम 2/2 थानाराम पुत्र भोलाराम 2/3 इन्द्रा पुत्री भोलाराम 2/4 रेखा पुत्री भोलाराम 2/5 गणकी पुत्री भोलाराम जातिगण सीरवी निवासीगण चण्डावल नगर तह0 सोजत जिला पाली राज0। 3. मृतक चन्द्राराम पुत्र राजीराम के वारिसान— 3/1 सुखड़ी पत्नी चन्द्राराम 3/2 सुनिल कुमार पुत्र चन्द्राराम 3/3 ओमप्रकाश पुत्र चन्द्राराम 3/4 विमला पुत्री चन्द्राराम जातिगण सिरवी निवासीगण चण्डावल नगर तह0 सोजत हाल निवासी तिरूपति आंध्र प्रदेश।		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः— श्री किशन सोनी, श्री जितेन्द्र जोशी, श्री दिनेश पालरिया अधिवक्तागण वादीगण उपस्थित।

2. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

दिनांक :— 05/05/2025

—: निर्णय :—

अधिवक्ता वादीगण ने राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादी के पेश कर निवेदन किया कि वादीगण की पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्तसुदा कृषि भूमि सरहद मौजा चण्डावल तह0 सोजत जिला पाली राज0 की जमाबंदी सम्वत 2054—57 अनुसार नया खाता सं0 471 पुराना खाता सं0 462 के खसरा नंबर 662 रकबा 1.99 है0, खसरा नंबर 663 रकबा 2.85 है0, खसरा नंबर 667 रकबा 0.99 है0, खसरा नंबर 669 रकबा 0.97 है0, खसरा नंबर 670 रकबा 8.04 है0, खसरा नंबर 850 रकबा 9.60 है0, खसरा नंबर 872 रकबा 5.32 है0, खसरा नंबर 873 रकबा 3.22 है0, खसरा नंबर 874 रकबा 2.44 है0, खसरा नंबर 875 रकबा 5.29 है0, खसरा नंबर 877 रकबा 0.85 है0 कुल खसरा 11 कुल रकबा 41.56 है0, इसी प्रकार खसरा नंबर 664 रकबा 0.09 है0, खसरा नंबर 665 रकबा 0.01 है0, खसरा

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

नंबर 666 रकबा 0.46 है0, खसरा नंबर 668 रकबा 0.04 है0 कुल खसरा 04 कुल रकबा 0.60 है0 की कृषि भूमि वादीगण के पूर्वज एवं सहखातेदारों के नाम से जमाबंदी सम्वत् 2054–57 में इन्द्राज सुदा हैं। जिसमें खातेदार भुराराम, कानाराम, जसाराम पीसरान लुम्बाराम 1/8 हिस्सा, नेनाराम पुत्र नेतीराम 1/8 हिस्सा, पानीदेवी बेवा खेमाराम, मांगीलाल, पपीया, सोहनलाल पीसरान खेमाराम 1/8 हिस्सा, नारायण, रामा, भीया पीसरान अन्नाराम 1/8 हिस्सा, बोराराम, मुकनाराम, देदाराम पीसरान भुराराम 1/8 हिस्सा, राजीराम, प्रभुराम, टीकमराम, पीसरान चोलाराम, बाबुलाल, गोपाराम, पीसरान जस्साराम नाबालिग की वली माता रमा बेवा जसाराम 3/8 संयुक्त रूप से खातेदारी दर्ज सुदा थी। जो बेरा जुनोड़ो का जाव के नाम से जाना है। वादीगण के पूर्वज राजीराम, प्रभु, टीकम पीसरान चोलाराम व माता टमकी पत्नी चोलाराम दिनांक 08/05/2023 एवं मृतक भोलाराम दिनांक 30/09/2020, चन्द्राराम दिनांक 20/04/2018, जमुड़ी पत्नी राजीराम का देहान्त हो चुका है, जिनके उत्तराधिकारी / वारिसान वादीगण ही है, जिनकी वंशावली इस प्रकार है कि राजीराम (फौत), जसाराम (फौत), टीकम (फौत), प्रभुराम (फौत) पिसरान चोलाराम (फौत), जमुड़ी (फौत) पत्नि राजीराम (फौत), भोलाराम, दुर्गाराम, चन्द्राराम पिसरान राजीराम (फौत), टमकी देवी (फौत) पत्नि भोलाराम (फौत), प्रेम, थानाराम, इन्द्र, रेखा, गणकी पिसरान भोलाराम (फौत), सुखड़ी पत्नि चन्द्राराम (फौत), ओमप्रकाश, सुनिल, विमला पिसरान चन्द्राराम (फौत), रमा (फौत) पत्नि जसाराम (फौत), बाबुलाल, गोपाराम पिसरान जसाराम (फौत), कानाराम, मैना, भंवरी पिसरान टीकम (फौत), धापुड़ी पत्नि प्रभुराम (फौत), पुखराज, मोहनलाल, मैना, देवाराम पिसरान प्रभुराम (फौत) हैं। उक्त वंशावली के अलावा अन्य कोई वारिसान स्वर्गीय चोलाराम जी के नहीं है। उक्त वर्णित वादस्थ कृषि भूमि में चोलाराम के सभी वारिसान का संयुक्त रूप से 3/8 हक हिस्सा व कब्जा काश्त का आता है तथा पृथक रूप से 3/8 का 1/4 यानि 3/32 हक हिस्सा आता है, उक्त वर्णित वादस्थ कृषि भूमि में बाबु, गोपा पीसरान जसाराम, नाबालिग की वलि कुदरती वलिया माता रमा बेवा जसा, द्वारा अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा यानि 3/8 का 1/4 यानि 3/32वां हक हिस्सा जरिये बेचान रजिस्ट्री दिनांक 08/01/2001 को वादीगण की माता/दादी/सास जमुडी बेवा राजीराम को बेचान कर दिया, जो बेचान रजिस्ट्री उप पंजीयन कार्यालय सोजत में पंजीयन सुदा है तथा उक्त बेचान के आधार पर म्यूटेशन संख्या 1227 स्वीकृत दिनांक 10/02/2001 के जमुड़ीदेवी पत्नी राजी के नाम 3/32वां हिस्सा पृथक से रेकर्ड में इन्द्राज किया गया है। जो बेचान रजिस्ट्री व जमाबंदी व म्यूटेशन से बखूबी साबित है। वादीगण के पूर्वज राजी व उनके भाई प्रभु व टीकम पीसरान चोला के नाम संयुक्त रूप से 9/32 हक हिस्सा वादीगण की माता/दादी/सास जमुड़ी देवी पत्नी राजीराम के 3/32 हिस्से यानि 3/8 हक हिस्सा दर्ज सुदा है। जो जमाबंदी सम्वत 2062–65 से बखूबी साबित है। तत्पश्चात राजीराम पुत्र चोलाराम का देहान्त हो जाने पर उनके वारिसान वादीगण संख्या 1 उनके भाई वादीगण संख्या 2 व 3 भोलाराम व चन्द्राराम व उनकी माता जमुड़ी देवी पत्नी राजीराम के नाम से 3/32 हक हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ। साथ ही जमुड़ीदेवी का खरीदसुदा 3/32 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज सुदा था, जो जमाबंदी सम्वत 2066–69 से बखूबी साबित है। जमुड़ीदेवी पत्नी राजीराम का देहान्त दिनांक 29/12/2012 को होने के पश्चात उनके वारिसान भोलाराम, दुर्गाराम, चन्द्राराम पीसरान राजीराम का नाम विरासती म्यूटेशन संख्या 2464 के जरिये जमुड़ीदेवी के खरीदसुदा हिस्से के स्थान पर वादीगण संख्या 1 से 3 के नाम 3/32 वां हिस्सा दर्ज किया गया, जो जमाबंदी व म्यूटेशन की प्रति साबित है। इस प्रकार वादस्थ सम्पूर्ण कृषि भूमि में वादीगण का

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

3/32वां हिस्सा राजीराम पुत्र चोलाराम के देहान्त दिनांक 18/7/2008 के बाद पुश्तैनी विरासत में प्राप्त हुआ, तथा 3/32वां हिस्सा वादीगण की माता/दादी/सास जमुड़ीदेवी पत्नी राजीराम द्वारा जरिये बेचान रजिस्ट्री दिनांक 08/1/2001 बाबु, गोपा पीसरान जसा व रमा बेवा जसा से खरीदने से एवं उनके देहान्त के बाद म्यूटेशन संख्या 2464 से वादीगण संख्या 1 से 3 के नाम 3/32 हिस्सा दर्ज होने से कुल हिस्सा 3/32 व 3/32 यानि 6/32 हिस्सा संयुक्त रूप से आता है। जो जमाबंदी सम्वत 2054–57 से 2070–73 से बखूबी साबित है। लेकिन अगली जमाबंदी चौसाला सम्वत 2074–77 बनाते समय राजस्व अधिकारियों / तहसीलदार /आर.आई / पटवारी ने वादस्थ कृषि भूमि वादीगण के संयुक्त 6/32 हिस्सा व पृथक रूप से 2/32 हिस्सा आता है, के स्थान पर 1/32–1/32 हक हिस्सा बिना किसी विधिक अधिकार व बिना किसी दस्तावेजात यानि बेचान, हस्तानान्तरण, बक्सीस, वसीयत इत्यादि व बिना किसी सक्षम अधिकारी के निर्णय डिक्री व आदेश के अपनी मन मर्जी अनुसार वादीगण के हक हिस्से 2/32–2/32–2/32 यानि कुल 6/32 को कम कर उसके स्थान पर 1/32–1/32–1/32 कुल 3/32 हक हिस्सा कम इन्द्राज कर दिया। जिसकी जानकारी वादीगण को दिनांक 20/04/2024 को होने पर नकले प्राप्त कर वादीगण ने दिनांक 30/04/2024 को तहसीलदार सोजत के समक्ष रेकर्ड सुधार करने हेतु आवेदन किया, जिस पर उन्होंने पटवारी चण्डावल को रेकर्ड से जांच कर रिपोर्ट मांगी, जिस रिपोर्ट में वादीगण का हक हिस्सा / संयुक्त रूप से सम्पूर्ण कृषि भूमि में 6/32 पुश्तैनी व खरीदसुदा होना मानते हुए प्रतिवादी को रिपोर्ट पेश की, लेकिन साथ ही राजस्थान एल.आर.एक्ट के नियम 166 के तहत गलत प्रविष्ठि को जरिये शुद्धिपत्र सही किया जाना उचित नहीं मानते हुए सक्षम न्यायालय से वाद दायर कर रेकर्ड शुद्धि के आदेश करने पर ही रेकर्ड शुद्धि करने की अनुशंषा की। इस कारण प्रतिवादी ने वादीगण के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर लौटा दिये। इसलिए वादीगण ने विरूद्ध प्रतिवादी के घोषणा व रेकर्ड शुद्धि का वाद न्यायालय के समक्ष पेश किया है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादीगण ने राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादी पेश कर माफिक डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी के इस आशय की सादिर फरमायी जावे कि वादपत्र के पद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में वादीगण के राजीराम जी के पुश्तैनी व 3/32 हक हिस्सा व जमुड़ी पत्नी राजीराम के खरीदसुदा 3/32 हक हिस्सा यानि कुल 6/32 हक हिस्सा आता है, जो सम्वत 2054–2073 तक राजस्व रेकर्ड में दर्ज सुदा है, उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में सम्वत 2074 से 6/32 के स्थान पर 3/32 का उल्लेख किया गया है, उक्त अशुद्धि (त्रुटि) को सुधार कर पुनः वादीगण के 6/32 हिस्से की घोषणा कर जमाबंदी में इन्द्राज करने का आदेश प्रदान किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन वास्ते जवाब दावा हेतु तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार सोजत द्वारा जवाब दावा पेश कर पैरा सं0 01 में वर्णित कृषि भूमि ग्राम चण्डावल में स्थित होना, पैरा सं0 02 से 07 वादी स्वयं साबित करना तथा पैरा सं0 08 से 10 कानूनी होना अंकित किया हैं।

बहस अधिवक्ता वादीगण एवं तहसीलदार सोजत सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने निवेदन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि में वादीगण का राजीराम जी के पुश्तैनी हक हिस्से से 3/32 हक हिस्सा व जमुड़ी पत्नी राजीराम के खरीदसुदा 3/32 हक हिस्सा यानि कुल 6/32 हक हिस्सा आता है, जो सम्वत 2054–2073 तक राजस्व रेकर्ड में दर्ज सुदा है, लेकिन पश्चात्वर्ती जमाबंदी में

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

राजस्व अधिकारियों द्वारा त्रुटिवश वादीगण के 6/32 हक हिस्से के स्थान पर 3/32 हक हिस्सा दर्ज कर दिया गया, जो गलत दर्ज हुआ। वादीगण द्वारा उक्त त्रुटि को दुरूस्त कर पुनः वादीगण को 6/32 हक हिस्से का खातेदार घोषित कर उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाव वहस में तहसीलदार सोजत द्वारा विधिसम्मत् निर्णय पारित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत दावा, जवाब दावा, फहरिस्त मय दस्तावेजात का अध्ययन कर वहस अधिवक्ता वादी एवं तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः जमाबंदी सम्वत् 2054-57 में राजी, प्रभु, टीकम पि0 चौला, बाबु, गोपा पि0 जसा नाबालिग की वली कुदरती वली माता रमा बेवा जसा 3/8 ब0हि0ब0 दर्जसुदा हैं। जिसकी टिप्पणी में नामा सं0 1227 दिनांक 10.02.2001 जरिये बेचान बाबु, गोपा पि0 जसा नाबालिग की वली कुदरती वली माता रमा बेवा जसा के नाम 3/32 वां हिस्सा जमुड़ी बेवा राजीराम को बेचान किये जाने का इन्द्राज है, जो प्रस्तुत बेचान दस्तावेज से स्पष्ट हैं। जमाबंदी वर्ष 2005 में राजी, प्रभु, टीकम पि0 चोला 9/32, जमुड़ीदेवी पत्नि राजीराम 3/32=3/8 ब0हि0ब0 दर्ज सुदा हैं। राजीराम के फौत होने के पश्चात् विरासत के नामा0 सं0 1850 द्वारा जमाबंदी सम्वत् 2066-69 में भोलाराम, दुर्गाराम, चन्द्राराम पि0 राजीराम, जमुड़ीदेवी पत्नि राजीराम 3/32, प्रभु, टीकम पि0 चोला 9/32, जमुड़ीदेवी पत्नि राजीराम 3/32=3/8 ब0हि0ब0 दर्ज हुआ। जमुड़ीदेवी के फौत होने के पश्चात् विरासत के नामा0 सं0 2464 भरते वक्त भोलाराम, दुर्गाराम, चन्द्राराम पि0 राजीराम का 3/32 हक हिस्सा ही दर्ज किया गया, जबकि भोलाराम, दुर्गाराम, चन्द्राराम पि0 राजीराम का 6/32 हक हिस्सा बनता हैं। जिससे स्पष्ट होता है कि नामा0 सं0 2464 दर्ज वक्त वादीगण का हक हिस्सा कम दर्ज किया गया। फहरिस्त के साथ प्रस्तुत पटवारी हल्का रिपोर्ट से भी वादीगण का हिस्सा कम दर्ज होने की संपुष्टि होती हैं। लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर भोलाराम, दुर्गाराम, चन्द्राराम पि0 राजीराम को 3/32 हक हिस्से= 1/32 ब0हि0ब0 के स्थान पर 6/32 हक हिस्से= 2/32 ब0हि0ब0 का खातेदार घोषित किया जाकर तदानुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

-: आदेश :-

अतः अधिवक्ता मय वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा चण्डावल तह0 सोजत जिला पाली राज0 के खसरा नंबर 662 रकबा 1.99 है0, खसरा नंबर 663 रकबा 2.85 है0, खसरा नंबर 667 रकबा 0.99 है0, खसरा नंबर 669 रकबा 0.97 है0, खसरा नंबर 670 रकबा 8.04 है0, खसरा नंबर 850 रकबा 9.60 है0, खसरा नंबर 872 रकबा 5.32 है0, खसरा नंबर 873 रकबा 3.22 है0, खसरा नंबर 874 रकबा 2.44 है0, खसरा नंबर 875 रकबा 5.29 है0, खसरा नंबर 877 रकबा 0.85 है0 कुल खसरा 11 कुल रकबा 41.56 है0, इसी प्रकार खसरा नंबर 664 रकबा 0.09 है0, खसरा नंबर 665 रकबा 0.01 है0, खसरा नंबर 666 रकबा 0.46 है0, खसरा नंबर 668 रकबा 0.04 है0 कुल खसरा 04 कुल रकबा 0.60 है0 के राजस्व रेकर्ड में दर्ज भोलाराम, दुर्गाराम, चन्द्राराम पि0 राजीराम हि0 1/32 ब0हि0ब0 के स्थान भोलाराम, दुर्गाराम, चन्द्राराम पि0 राजीराम हि0 2/32 ब0हि0ब0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

जाता हैं, तदानुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिये जाते हैं। डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर, सोजत
सोजत (पाली)

यह निर्णय आज दिनांक 05/05/2015 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर, सोजत
सोजत (पाली)

उप खण्ड अधिकारी • सोजत, जिला-पाली (राज.)